

प्राथी पपिया

विपक्षी- राजवत

क्रिम मुकदमा-धारा 136 एल.आर.एक्ट.

पत्रावली संख्या- 62 / 2026

दिनांक

07/07/25

पत्रावली पेश हुई। प्राथी द्वारा प्रार्थना पत्र खाता दुरस्ती का पेश करने पर दर्ज किया गया।

प्राथी का नाम राजस्व रेकॉर्ड मौजा खण्डरिया, खेडी खाता संख्या 10,09 व 32 में प्राथी का नाम हमीश पुत्र नाथु अंकित है जिसे संशोधित करा पपिया पुत्र नाथु अंकित किया जाने का निवेदन किया।

पटवारी हल्का कांठ भू.अ.निरीक्षक उत्तरका से रिपोर्ट प्राप्त की गई है। तहसीलदार सलुम्बर द्वारा प्राथी का नाम हमीश पुत्र नाथु निवासी के बजाय पपिया पुत्र नाथु संशोधित किया जाने की अनुशंषा की गई है।

अतः पटवारी, भू.अ.निरीक्षक एवं तहसीलदार सलुम्बर की अनुशंषा अनुसार मौजा खण्डरिया, खेडी पटवार हल्का कांठ की खाता संख्या 10,09 व 32 में प्राथी का नाम पपिया पुत्र नाथु संशोधित किया जावे। आदेश जारी किया जाकर तहसीलदार सलुम्बर को पालनार्थ आदेश की प्रति भिजवाई जावे।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।
निर्णय सुनाया गया।



[Signature]
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर सलुम्बर
जिला सलुम्बर